बहस दिनांक 6-4-22 को पेश हो।

6-4-22	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित वादी स्वयं उपस्थित साक्ष्यवादी से वादी का साक्ष्य शपथपत्र पेश किया और कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है वास्ते बहस वाद-पत्र पत्रावली ~~7~~-4-22 को पेश हो।
7-4-22	पत्रावली पेश हुई वादी व वादी के अधिवक्ता उपस्थित वाद-पत्र वादी के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वादी का वाद पत्र का अवलोकन बहस पर मनन पश्चात वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बूंदी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

58 / दावा / 2021
दायरा दिनांक 12.01.2011

पीठासीन अधिकारी
श्री युगांतर शर्मा (RAS)

बउनवान

1. सुरेश कुमार पुत्र कंवरलाल जाति मीणा निवासी खरायता तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0। – वादी

बनाम

1. बृजमोहन पुत्र नन्दलाल जाति मीणा निवासी खरायता तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

–प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0 एक्ट0।
उपस्थित :– 1. श्री महेन्द्र रेबारी एडवोकेट (वादी)।

–: निर्णय :–

दिनांक :– 07.04.2022

वादी द्वारा वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 188 आर0टी0एक्ट0 में पेश कर कथन किया कि कृषि भूमि खसरा संख्या 199 रकबा 0.03 हैक्ट0, ख0सं0 451 रकबा 1.59 हैक्ट0, ख0सं0 92 रकबा 0.40 हैक्ट0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.02 हैक्ट0 वाके ग्राम खरायता तहसील इन्द्रगढ (बून्दी) में स्थित है।उक्त भूमि का वादी खातेदार टिनेन्ट है।एवं काबिज होकर काश्तकारी करता आ रहा है। दिनांक 23.06.2021 को प्रतिवादी आया तथा वादी को धमकी दी गई कि उक्त कृषि भूमि पर से तुम कब्जा छोडो नही तो मै जबरदस्ती कब्जा करूंगा।प्रतिवादी को वादी की खातेदारी कृषि भूमि पर कब्जा करने का कोई कानूनन अधिकार प्राप्त नही है।और अन्त में निवेदन किया कि प्रतिवादी को इसकदर स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादी की खातेदारी कृषि भूमि में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नही करे।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner

वादी का वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी बावजूद तामिल सम्मन अनुपस्थित रहा इस पर प्रतिवादी के विरूद्व दिनांक 16.03.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादी के अधिवक्ता ने दौराने बहस वाद–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रतिवादी वादी की खातेदारी कृषि भूमि पर कब्जा करने की बार–बार धमकी देता है एवं अनावश्यक खातेदारी भूमि पर दखलअदांजी करता चला आ रहा है।अतः प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी के खातेदारी कृषि भूमि में दखलअदांजी नही करे।

हमारे द्वारा वादी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वाद वर्णित आराजी खसरा संख्या 199 रकबा 0.03 हैक्ट0, ख0सं0 451 रकबा 1.59 हैक्ट0, ख0सं0 92 रकबा 0.40 हैक्ट0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.02 हैक्ट0 वाके ग्राम खरायता वादी के रिर्कोडेड खातेदारी में दर्ज है। जिसमे प्रतिवादी को दखलअंदाजी करने का कोई कानूनन अधिकार प्राप्त नही है।अतः वादी का वाद–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः वादी का वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम खरायता में स्थित खसरा नम्बरान 199 रकबा 0.03 हैक्ट0, ख0सं0 451 रकबा 1.59 हैक्ट0, ख0सं0 92 रकबा 0.40 हैक्ट0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.02 हैक्ट0 पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप,व्यवधान, एवं काश्त करने में किसी प्रकार की दखलअदांजी नही करे। न तो स्वंय करे। और न ही अपने किसी प्रतिनिधी से करावे।तदद्नानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.04.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)

Scanned with CamScanner

डिकी व मुकदमें इब्तदाई

(O 20,Rr 6,7)

(civil Procedure Code Appendix D)

1. अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी.................................. मुकाम.........................लाखेरी.........................
.....व इजलास.........श्री युगांतर शर्मा (आर. ए. एस.)..

1. सुरेश कुमार पुत्र कंवरलाल जाति मीणा निवासी खरायता.... **बनाम.......**1. बृजमोहन पुत्र नन्दलाल जाति मीणा निवासी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।............................ खरायता तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

दावा बावत...188 आर0 टी0 एक्ट...

मुकदमा नम्बर..................................58 / दावा / 2021..............................सन...यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू...हमरे...व हाजिरी

1. श्री महेन्द्र रेवारी एडवोकेट ....। मिनजानिब मुद्दई रूबरू.. ....मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादी का वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादी को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वाके ग्राम खरायता में स्थित खसरा नम्बरान 199 रकबा 0.03 हैक्ट0, ख0सं0 451 रकबा 1.59 हैक्ट0, ख0सं0 92 रकबा 0.40 हैक्ट0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.02 हैक्ट0 पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप,व्यवधान, एवं काश्त करने में किसी प्रकार की दखलअदांजी नही करे। न तो स्वंय करे। और न ही अपने किसी प्रतिनिधी से करावे।

....निज..मुवलिग...बावत....................... ....खर्चा इन मुकदमें के मय सूद बशरह ....फीसदी सालाना। आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .....07........माह.. ..04... सन...2022............... ....को जारी की गई।

दस्तखत

मुहर **ओहदा**

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॉन		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्ताफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

Scanned with CamScanner